Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology

Kumarganj- 224 229, Ayodhya (U.P.)

नियुक्ति प्रकिया

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कुमारगंज, अयोध्या–224229

नियुक्ति प्रकिया

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या में शासन/प्रबन्ध परिषद द्वारा स्वीकृत पद एवं नए सृजित पदो के रिक्त पदों को भर्ती प्रकिया के अन्तर्गत लिया जाता है। विश्वविद्यालय अधिनियम सेक्शन 28 एच एवं आई के अनुसार विद्वत परिषद को प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत विभागों के स्थापना आदि निर्धारित किए जाते है। विभिन्न संकायों में गठित बोर्ड आफ फैकल्टीज में निर्धारित किए जाते है। पदों की योग्यता यू.जी.सी./आई.सी.ए.आर. नार्मस के तहत विभिन्न संकायों के बोर्ड आफ फैकल्टीज के द्वारा तैयार किए गए योग्यता को विद्वत परिषद में प्रस्तुत किया जाता है एवं पदों की शैक्षिक योग्यता पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त परिषद की संस्तुति को प्रबन्ध परिषद में प्रेषित किया जाता है। प्रबन्ध परिषद की वित्त उपसमिति एवं प्रबन्ध परिषद के अनुमोदनोपरान्त चयन प्रकिया का प्रारम्भ विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

विभिन्न महाविद्यालय/निदेशालय के नव सृजित/रिक्त शैक्षणिक/शोध/प्रसार के रिक्त पदों पर आरक्षण रोस्टर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–2 शासनादेश. सं0 5/209/1/2002/ का–2/209 टी.सी.–1 लखनऊ दिनांक 13.8.2019, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–। शासनादेश सं0 977/प्रस्तर–/209–6(9) /2019 दिनांक 2.9.2019, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग पत्रांक 178/07–कृशिअ–2–1001(099) /301 /209 दिनांक 7.7.2021, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के पत्रांक वीसी/2021/269 दिनांक 30.7.2021 एवं कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग पत्रांक 882/202 /कृशिअ–6–004(099)/30/2049 दिनांक 10.9.2021 के अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के हिन्दी वर्णमाला के कम में पदों का आरक्षण रोस्टर को तैयार किया जाता है। तत्पश्चात निर्धारित योग्यता के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु 2 राष्ट्रीय स्तर एवं 2 स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के साथ–साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, जिसमें आवेदनपत्र प्राप्त होने का समय एक माह का दिया जाता है। आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रुप में विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क लिया

जाता है। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र खोलने तथा आवेदन शुल्क का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाता है। आवेदन शुल्क के रुप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को वित्त नियंत्रक के माध्यम से विश्वविद्यालय के खातें में जमा किया जाता है। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कुटनी /स्कीनिंग के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर अधिष्ठाता/निदेशक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है एवं आवेदन पत्रों की स्कूटनी/स्कीनिंग का कार्स किया जाता है। शैक्षणिक पदों हेतु गठित समिति विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कीनिंग कर ए.पी.आई. स्कोर के आधार पर सूची तैयार करती है। समिति द्वारा तैयार की गयी सूची को अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों से आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए अपलोड किया जाता है तथा राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार 7 दिन का समय दिया जाता है। दिए गए समय के पश्चात आपत्तियों का निस्तारण समिति द्वारा किया जाता है तथा पुनः अभ्यर्थियों को निस्तारण से अवगत कराने हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई–309,/32–जी0एस0/2020 दिनांक 8 मई 2021 में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार सहायक प्राध्यापक पद हेतु स्कीनिंग में योग्य पाए गए सभी अभ्यर्थियों का आब्जेक्टिब टाइप लिखित परीक्षा करायी जाती है। परीक्षा में प्राप्त अंको का प्रदर्शन हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है तथा अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा के अंकों पर आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। दिए गए समय के पश्चात आपत्ततियों का निस्तारण समिति द्वारा किया जाता है।

राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई–5862,/जी0एस0 दिनांक 03 सितम्बर 2022 में उललेखित निर्देशों के अनुसार द्वितीय चरण हेतु साक्षात्कार के लिए ए.पी.आई. स्कोर (00 अंक) एवं लिखित परीक्षा (10 अंक) में प्राप्त योग के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई–3019/ 32–जी0एस0 /2020 दिनांक 48 मई 2021 में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार एक पद हेतु अधिकतम 10 गुना तथा उसके बाद प्रत्येक पद हेतु अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर द्वितीय चरणसाक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। मेरिट के आधार पर सार्टलिस्टेड/योग्य पाए गए

अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के साथ अध्यर्थियों को पंजीकृत डाक तथा ई.मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है।

सहायक प्राध्यापक पद हेतु सार्टलिस्टेड/योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को पहले राज्यपाल महोदय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से नामित विशेषज्ञ के पैनल द्वारा तय किए गए एक टापिक पर प्रजेंटेशन तैयार करने के लिए एक घण्टे का समय दिया जाता है तत्पश्चात चयन समिति एवं 0–5 छात्रों के समक्ष अभ्यर्थियों से प्रजेंटेशन (20 अंक) कराया जाता है। प्रजेंटेशन के पश्चात चयन समिति के समक्ष अभ्यर्थियों का साक्षात्कार (10 अंक) कराया जाता है। चयन समिति द्वारा प्रजेंटेशन एवं साक्षात्कार के अंको (20+10 अंक) के योग के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर चयन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरोपरान्त लिफाफा बन्द कर दिया जाता है। बन्द लिफाफे को मा0 प्रबन्ध परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु खोला जाता है। मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन के पश्चात सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरान्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाता है।

सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कीनिंग विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाता है। स्कीनिंग कर अभ्यर्थियों के ए.पी.आई. स्कोर तैयार किए जाते है।

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु 7 दिन का समय दिया जाता है। दिए गए समय के पश्चात आपत्तियों का निस्तारण समिति द्वारा किया जाता है तथा पुनः अभ्यर्थियों को निस्तारण से अवगत कराने हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

प्राप्त ए.पी.आई. स्कोर के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई–309,/32–जी0एस0//2020 दिनांक 8 मई 202 में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार एक पद हेतु अधिकतम 10 गुना तथा उसके बाद प्रत्येक पद हेतु अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण/साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है। ए.पी.आई. के मेरिट के आधार पर सार्टलिस्टेड / योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के साथ अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक तथा ई.मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है।

अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन राज्यपाल महोदय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से नामित विशेषज्ञ के पैनल के समक्ष अभ्यर्थियों का साक्षात्कार (20 अंक) कराया जाता है। जिसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर चयन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरोपरान्त लिफाफा बन्द कर दिया जाता है। बन्द लिफाफे को मा0 प्रबन्ध परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु खोला जाता है। प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन के पश्चात सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरान्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाता है।

कृषि विज्ञान केन्द्रों के विषय वस्तु विशेषज्ञ पद का चयन शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एकेडमिक स्कोर एवं साक्षात्कार के अंको के आधार पर चयन किया जाता है। समूह ग के अभ्यर्थियों का चयन एकेडमिक स्कोर तथा लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर किया जाता है।